आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
19/12/18	**न्यायालय – अपर समाहर्त्ता, खूँटी** **RD Appeal No. - 4R15/2013** **द्विजो स्वांसी – अपीलकर्त्ता** **वनाम्** **भीम स्वांसी – विपक्षी** **आदेश** प्रस्तुत अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्विजो स्वांसी, पिता–स्व0 मेघनाथ स्वांसी, ग्राम–अड़की, थाना–अड़की, जिला–खूँटी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय द्वारा RD 2/2003 में दिनांक 03.09.12 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलम्ब के लिए समयक्षांति आवेदन दाखिल किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, खूँटी द्वारा दिनांक 20.02.2013 को अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी एवं विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है तथा विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि मौजा–अड़की, थाना–अड़की, जिला–खूँटी, थाना नं0–264 अन्तर्गत खाता नं0–34, प्लॉट नं0–76, रकबा–52 डी0 एवं प्लॉट नं0–85, रकबा–05 डी0, प्लॉट नं0–88, रकबा–03 डी0, प्लॉट नं0–89, रकबा–04 डी0, प्लॉट नं0–86, रकबा 05 डी0, कुल रकबा 69 डी0 जमीन हाल नाप खतियान में अपीलकर्ता के दादा चैतन स्वांसी वगैरह के नाम से दर्ज है। कुर्सीनामा के अनुसार चैतन स्वांसी का मात्र एक पुत्र मेघनाथ स्वांसी हुए। मेघनाथ के दो पुत्र गुराई स्वांसी (अविवाहित मृत) द्विजो स्वांसी अपीलकर्ता हुए। जमीन में खतियानी रैयत चैतन स्वांसी अपने जीवन काल तक दखलकार रहे एवं इनके मरने के बाद उनके पुत्र मेघनाथ स्वांसी दखलकार हुए। पुनः उनके मरने के बाद अपीलकर्त्ता अभी तक दखलकार चले आ रहे है।	

इनके भाई गुराई स्वांसी अविवाहित मर गए है। उपरोक्त खाते की विवरणी जमीन को न तो अपीलकर्ता या उनके पूर्वज कभी किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री किया है और न अन्य किसी तरह से दूसरे के हाथ हस्तांतरित किया गया है। अपीलकर्त्ता उपरोक्त जमीन पर दखलकार रहते हुए हर साल सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद हासिल करते आ रहे हैं। विपक्षी भीम स्वांसी एवं अर्जुन स्वांसी उपरोक्त जमीन पर कभी भी एक दिन के लिए भी दखल–कब्जा में नहीं है, और न उनका कोई हक दखल ही है। विपक्षी नं0 1 भीम स्वांसी एवं अर्जुन स्वांसी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी को गुमराह कर एक वाद रेन्ट डिपोजिट नं0–02/02–03 दायर कर अपने पक्ष में फैसला करा लिया है, जो विल्कुल अनुचित एवं गैर कानूनी है। निम्न न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलकर्त्ता को कभी नोटिस नहीं दिया गया एवं गलत कुर्सीनामा दाखिल कर नोटिस दबाकर अपने पक्ष में फैसला करा लिया गया है और इसकी सूचना अपीलकर्त्ता को होने पर वह तुरन्त आदेश दिनांक 03.09.12 की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर समय सीमा के धारा 5 के अन्तर्गत यह अपील दायर किया है। अपीलकर्ता एवं विपक्षी से किसी तरह का संबंध नहीं है और न ही वे भैयाद है। विपक्षी द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद विल्कुल फर्जी एवं नाजायज है। अपीलकर्त्ता के पास उपरोक्त जमीन से संबंधित एवं अड़की निवासी होने के निम्न कागजात उपलब्ध है–(1) आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति (2) मालगुजारी रसीद (3) आधार कार्ड (4) राशन कार्ड (5) फोटो पहाचान पत्र (6) फसल बीमा का नोटिस इत्यादि।

अतः अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा लाया गया अपीलवाद काल बाधित है, जोकि अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों एवं तत्विकों से प्रतीत होता है। अपीलकर्त्ता को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि उतरवादी द्वारा लगान जमा वाद संख्या–02/2002–03 अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष प्रारंभ किया गया था, परन्तु अपीलकर्त्ता ने जानबुझकर निम्न न्यायालय में उपस्थित होने एवं प्रतिरोध प्रकट करने में कोई इच्छा नहीं दिखाई। उतरवादी द्वारा निचली अदालत के समक्ष इस कार्यवाही प्रक्रिया की प्रारंभ की बात जहाँ पर विवादास्पद विषय था। इसकी जानकारी अड़की गॉव के ग्रामीणों को था, फिर भी अपीलार्थी के ओर से निचली अदालत के समक्ष लगान जमा वाद संख्या–02/2002–03 के प्रतिरोध में जान बुझकर अवरोध करना उतरवादी के विचार के परे है। अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अंचल

अधिकारी, अड़की ने जॉच प्रतिवेदन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि जमाबंदी दुगरन स्वांसी के पुत्रों क्रमशः लाल स्वांसी, सोमा स्वांसी और गुरू स्वांसी, टोला नदी पार के नाम से विवादास्पद विषय के संबंध में खोला गया। लाल स्वासी, सोमा स्वांसी और गुरू स्वांसी के नाम से राजस्व अभिलेख का रजिस्टर II में निरंतर चला आ रहा है। खेवट नं0–02 के विवादास्पद खाता नं0–34, मौजा अड़की, थाना–अड़की अन्य खाता के जमीन के साथ शामिल है। जिसमें राज्य प्रबंधक श्री प्रताप नाथ साहदेव को लगान वसूल करने का हक था। भीम स्वांसी के पूर्वज पूर्व जमीन्दार को हमेशा लगान दिया करते थे और पूर्व जमीन्दार के राजस्व विभाग ने सन 1941 से 1946 तक लगान रसीद जारी किये जो प्रदर्शित करता है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थि का पूर्वज काबिज थे और लगान रसीद कब्जा का पहला दावा आरोप है। सम्प्रति निहित सम्पति उन्मूलन के बाद लाल स्वांसी, सोमा स्वांसी और गुरू स्वांसी सरकार के मान्यता प्राप्त रैयत है और वे लगान रसीद प्राप्त करने लगे जमाबन्दी उनके नाम से खोले गये इस प्रकार रजिस्टर II सत्यापित था। कालांतर में लाल स्वांसी असम चला गया जो नहीं लौटा और जिसकी आर0 एस0 खतियान के प्रकाशन के बाद नहीं खोजा गया। गुरू स्वांसी नावल्द मर गया जबकि भीम स्वांसी और अर्जुन स्वांसी सोमा स्वांसी के औलाद है। भीम और अर्जुन इस वाद के उत्तरवादी है। चैतन स्वांसी ने पूर्व जमीन्दार को लगान नहीं दिया। फलस्वरूप पूर्व जमीन्दार ने इसे वापस अपने खास कब्जा में लिया और बाद में उत्तरवादी के पूर्वज को मौखिक बन्दोबस्ती के माध्यम से विवादास्पद जमीन को बन्दोबस्त किया तथा बन्दोबस्ती के समय से ही जमीन का उपयोग करते आ रहे है। पूर्व जमीन्दार के राजस्व कार्यालय से लगान रसीद का जारी करना इस बात को साबित करता है। बिहार सरकार में वर्तमान उत्तरवादी के साथ उनके पूर्वजों द्वारा लगान भुगतान के उपलक्ष्य में वर्ष 1995–96 तक लगान रसीद जारी किया, जो प्रश्नगत भूमि पर उनकी कब्जा के तथ्य को पूर्ण रूप से सत्यापित करता है। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश सही है। नियमानुसार है। अतः विपक्षी/उत्तरवादी द्वारा अपील आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अंचल अधिकारी, अड़की के जॉच प्रतिवेदन जो उनके पत्रांक–179 दिनांक–02.08.2002 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–अड़की, थाना–अड़की, जिला–रॉची वर्तमान जिला खूँटी का खाता नं0–34, खेसरा नं0–76, 85, 88, 89 एवं 86 रकबा 52+05+03+04+05 डी0 कुल जमा

रकबा–69 डी0 भूमि का सर्वे खतियान में चैतन स्वांसी वल्द दास स्वांसी वो दुराई स्वांसी बल्द रतन स्वांसी कौम–स्वांसी शामिन देह दर्ज है। अंचल अधिकारी, अड़की के पत्रांक– 134 दिनांक– 11.06.12 द्वारा समर्पित जॉच से स्पष्ट है कि वर्तमान में संबंधित खाते का खतियानी उत्तराधिकारी रैयत (1) द्विजों स्वांसी, पिता– स्व0 मेघनाथ स्वांसी वो (2) रघुनन्दन स्वांसी पिता–स्व0 दुराई स्वांसी का कुल विवादित भूमि का 69 डीसमिल पर जोत दखल है एवं खाता का जमाबन्दी लाल वो सोमा स्वांसी वो गुरू स्वांसी, पिता–डुगरू स्वांसी, टोला नदी पार के नाम बिना किसी आधार के दर्ज है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता का अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी